न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 232/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आम जनता ग्राम पंचायत जोरानाडा जरिये सरपंच रामत जाति मुसलमान, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. प्रधानाध्यापक, राउप्रावि जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 :– श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 07.08.2023

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम जोरानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 857/578, 1237/1236 रकबा क्रमशः 0.8094, 1.2140 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोरानाडा के नाम से, खसरा नम्बर 856/578 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की गैर मुमकिन आबादी तथा मूल खसरा नम्बर 1240/1238 रकबा 12.9986 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन खान क्वारी की आई हुई है। उक्त समस्त खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 578 के विभक्त भाग है, जिसमें अलग अलग प्रयोजनार्थ आवंटन होकर शेष भूमि खसरा नम्बर 1240/1238 में रही है। उक्त में खसरा नम्बर 857/578 व 1237/1236 राजकीय विद्यालय व खेल मैदान हेतु आवंटित है तथा तरमीम भी अंकित की हुई है। वर्तमान में विद्यालय क्रमोन्नत होने तथा नवीन भवन निर्माण के लिए जब सरपंच द्वारा उक्त आराजी का सीमाकंन करवाया तब जानकारी में आया कि ग्राम पंचायत जोरानाडा में विद्यालय की भूमि बसी हुई आबादी में आ गई है, जिसे निर्माण कार्य करवाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही आबादी भूमि की तरमीम में भी बसावट अनुसार एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जा व वास्तविक मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 तथा मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यालय की तरमीम के आबादी भूमि क्षेत्र नजदीक आने से उसमें पहले से घर बने हुए होने से वर्तमान तरमीम एवं प्रार्थी के मौके पर कब्जे में भिन्नता होने से परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थी एंव विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा एवं वास्तविक मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 स्वयं द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरानाडा, पटवार मण्डल शिव तहसील शिव के खसरा नम्बर 857/578, 1237/1236, 1240/1238 रकबा क्रमशः 0.8094, 1.2140, 12.9986 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 07.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner